1·5

वनभूमि की मांग का औचित्य

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 905/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईड़ा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.00 कि.मी.) (0.9675है0)

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति शासनादेश सं. 4417/III(2)/15–4(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015 के द्वारा 4.00 किमी. लम्बाई हेतु ₹ 18.13 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। मार्ग निर्माण से ग्राम बोहरो, पजीना, जनता तथा वलनी इत्यादि के ग्रामीणो को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। मार्ग निर्माण हेतु स्थल पर सर्वेक्षण कार्य कराया गया है परन्तु इस मार्ग निर्माण हेतु ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नही है जिसमें मार्ग निर्माण से वन भूमि प्रभावित नही होती है। स्थल पर मार्ग निर्माण हेतु ऐसा समरेखंण प्रस्तावित किया गया है जिसमें न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होती हो।

इस मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखण पर मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 कि.मी. है। प्रस्तावित समरेखंण में –– है0 आरक्षित वन भूमि, 0.9675 है0 वन पंचायत भूमि तथा –– है0 सिविल बेनाप सहित कुल 0.9675 है0 वन भूमि प्रभावित होती है। इस हेतु कुल 0.9675 है0 वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा